न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती वन्दना सिंघवी, आई.ए.एस

अपील संख्या: 104/2015 एल.आर.एक्ट **GCMS No. 2015/00160**

1. लालचन्द पुत्र रामनारायण बिश्नोई जाति बिश्नोई निवासी ग्राम कांकड़वाला चक 6 बीएचएम तहसील लूनकरणसर, जिला बीकानेर।

—— अपीलान्ट

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र रामकरण बिश्नोई जाति बिश्नोई निवासीगण ग्राम लक्ष्मीनारायणसर चक 6 बीएचएम तहसील लूनकरणसर।
2. इमानती पत्नि ओमप्रकाश बिश्नोई जाति बिश्नोई निवासीगण ग्राम लक्ष्मीनारायणसर चक 6 बीएचएम तहसील लूनकरणसर।
3. श्रीमान तहसीलदार लूनकरणसर (राजस्व)

—— रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः श्री तेजकरण गहलोत अभिभाषक अपीलांट
श्री राजेश बैद अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स सं. 1 ता 2

निर्णय

दिनांक 21.10.2024

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लूनकरणसर के आदेश दिनांक 13.07.2015 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– वादग्रस्त भूमि चक बीएचएम 6 तहसील लूनकरणसर के मुरब्बा नंबर 45/14 में किला नंबर 16 ता 18 तादादी 3 बीघा कमाण्ड भूमि एवं किला नंबर 21/1 ता 25/2 तादादी 4 बीघा 10 बीस्वा कमाण्ड भूमि कुल तादादी 7 बीघा 10 बिस्वा कमाण्ड भूमि एवं मुरब्बा नंबर 45/15 में किला नंबर 1 ता 13 तादादी 13 बीघा कमाण्ड भूमि इस प्रकार कुल 20 बीघा 10 बिस्वा कमाण्ड भूमि अपीलांट के नाम दर्ज खातेदारी कृषि भूमि है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपने नाम से दर्ज मुरब्बा नंबर 45/6 व 45/14 की 25 बीघा कृषि भूमि का सीमाज्ञान करवाने का प्रार्थना–पत्र तहसीलदार लूनकरणसर के समक्ष प्रस्तुत किया। तहसीलदार लूनकरणसर ने उक्त प्रार्थना–पत्र कार्यवाही करते हुए मुरब्बा नंबर 45/6 व 45/14 में 25 बीघा भूमि का सीमाज्ञान करने का आदेश क्रमांक 113 दिनांक 25.05.2015 पारित किया। तहसीलदार लूनकरणसर के उक्त आदेश की पालना में पटवारी हल्का काकड़वाला द्वारा दिनांक 30.06.2015 को सीमाज्ञान किया गया। तत्पश्चात रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 2 ने उपखण्ड अधिकारी लूनकरणसर के समक्ष पत्थरगढ़ी करवाने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया। उपखण्ड अधिकारी, लूनकरणसर ने उक्त प्रार्थना–पत्र कार्यवाही करते हुए मुरब्बा नंबर 45/6 व 45/14 में 25 बीघा भूमि की पत्थरगढी करवाने का आदेश दिनांक 13.07.2015 प्रदान किया। उपखण्ड अधिकारी, लूनकरणसर के आदेश दिनांक 13.07.2015 से व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की।

2– विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया है कि अपीलांट व रेस्पोडेन्ट के मध्य मुरब्बा नंबर 45/14 में अपनी–अपनी कृषि भूमि की सींव कायम है जो पूर्व में सीमा चिन्ह के अनुसार कायम शुदा होते हुए भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 2 ने अपीलांट को बीना कोई नोटिस, सूचना के गलत तरीके पैमाईश करवाकर उसके आधार पर पत्थर गढ़ी के आदेश प्राप्त कर लिए है जो निरस्त योग्य है। पटवारी हल्का द्वारा फर्द मौका दिनांक 30.06.2015 के अवलोकन से प्रथम दृष्टया ही जाहिर होता है कि उक्त एकजाई मौका पैमाईश रिपोर्ट अपूर्ण व अस्पष्ट एवं गलत है तथा भू–राजस्व नियमों के विपरित है, ऐसी अपूर्ण, अस्पष्ट एवं गलत बनावटी रिपोर्ट के आधार पर आदेश जैर अपील प्रसारित करने में अदालत मातहत ने घोर कानूनी अनियमितता की है। इस प्रकार पटवारी हल्का ने अपनी मन मर्जी से रिपोर्ट व मौका पैमाईश रिपोर्ट तैयार की गई है। पटवारी हल्का ने मौका पैमाईश रिपोर्ट में 25 बीघा कौन–कौन से किला की पैमाईश करी है स्पष्ट नहीं किया है। पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत फर्द मौका पैमाईश रिपोर्ट दिनांक 30.06.2015 में भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के नाम से कितनी भूमि है का भी उल्लेख नहीं किया हैं। तीन चकों के अलग–अलग मुरब्बा की पैमाईश एक ही मुरब्बा नंबर 65/1 ब्लॉक पत्थर से करना मौका पैमाईश रिपोर्ट में अंकित किया गया है जिससे यह स्पष्ट होता है कि ये मौका रिपोर्ट गलत हैं। मुरब्बा नंबर 45/14 में रेस्पोडेन्ट की भूमि के अलावा अपीलांट की भी 7 बीघा 10 बिस्वा कमाण्ड भूमि स्थित हैं। अपीलांट की कृषि भूमि मुरब्बा नंबर 45/15 के किला नंबर 21 ता 25 में पक्का खाला व सड़क स्थित है जो 45/14 एवं 45/15 के मध्य स्थित हैं इस प्रकार मुरब्बा लाईन पर खाला व सड़क की सीमा मौजूद है, जिसे दर किनार किया जाकर गलत पैमाईश व बनावटी रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा मिली भगत करके तैयार की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने किसी प्रकार से गौर किए बिना ही पटवारी हल्का द्वारा करवाए गए सीमाज्ञान अनुसार पत्थर गढ़ी के अस्पष्ट आदेश दिया जाना न तो विधि सम्मत है। ना ही न्यायोचित है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 13.07.2015 निरस्त किया जावे। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपनी बहस में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टिांत का हवाला दिया हैं।

1. आर.बी.जे 2017 पेज संख्या 270 अनवान राजेन्द्र सिंह बनाम सतवीर सिंह

3– विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने बहस के दौरान कथन किया कि उक्त प्रकरण कैप में तय हुआ है। अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट्स में सीमा को लेकर विवाद रहता है। रेस्पोडेन्ट्स ने जीपीएस मशीन से सीमाज्ञान करवा कर सीमा चिन्ह लगाने हेतु प्रार्थना–पत्र दिया, जिस पर मजमे आम में आदेश जैर अपील पारित किया गया है जो उचित है। अपीलांट के पास अपनी खातेदारी भूमि कब्जे में है इसलिए सीमा चिन्ह लगने से किसी प्रकार का विवाद बढ़ाने या बेदखल कर दिये जाने का प्रश्न ही नहीं है। इसलिए आदेश जैर अपील यथावत रखा जाकर अपील अपीलांट खारिज की जावें।

4– हमने अधीनस्थ न्यायालय के उपलब्ध अभिलेख तथा उभय पक्ष की बहस का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लूनकरणसर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.07.2015 पारित करते हुए मुरब्बा नंबर 45/6 व 45/14 की 25 बीघा भूमि की पत्थरगढी करवाने के आदेश कर दिये। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक

13.07.2015 के अवलोकन से प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लूनकरणसर ने मौके व दस्तावेजों की गहनता से जांच किए बिना व अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना इकतरफा तौर पर अपीलाधीन आदेश पारित किया है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लूनकरणसर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.07.2015 निरस्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) की जाती है कि अधीनस्थ न्यायालय दोनो पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर एवं दस्तावेजों की गहनता से जांच कर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

5– तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावें। निर्णय आज दिनांक 21.10.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वन्दना सिंघवी)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर